संख्या:-23/2025/766ई-2/तेरह-2025-498830

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक: 08 जुलाई, 2025**

विषयः-मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि., बरेली आसवनी को 74 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 259 लाख लीटर वार्षिक क्षमता पर शीरा आधारित प्लान्ट को डुअल मोड अर्थात शीरे के साथ-साथ ग्रेन से ई.एन.ए. एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन करने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-25/दो-प्रा.डी.-03/सुपीरियर आसवनी बरेली, दिनांक 04-06-2025 एवं पत्र संख्या:जी-27/दो-प्रा.डी.-03/सुपीरियर आसवनी, दिनांक 26-06-2025 तथा इस संबंध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30-06-2025 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:765ई-2/तेरह-2025-498830, दिनांक 08-07-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 04-06-2025 एवं 26-06-2025 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के क्रम में मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि., बरेली आसवनी को 74 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 259 लाख लीटर वार्षिक क्षमता पर शीरा आधारित प्लान्ट को डुअल मोड अर्थात शीरे के साथ-साथ ग्रेन से ई.एन.ए. एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) इकाई द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या:33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(2) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3 (4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(5) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(6) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(7) इकाई द्वारा ग्रेन साइलों में अनाज संचित करने के लिये बकेट एलीवेटर पर सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार ग्रेन साइलो से प्लान्ट में अनाज ले जाने वाली कन्वेयर पर भी ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के अनाज का भण्डारण/अंतरण किया जा रहा है।

(8) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(10) प्रदेश में स्थित आसवनियों में अलग-अलग प्लान्ट एवं संचय व्यवस्था होने पर अलग-अलग फीड से एक साथ अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में निम्नलिखित गाईडलाइन्स/शर्तों का अनुपालन आबकारी आयुक्त द्वारा अपने स्तर से SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) निर्गत करते हुये सुनिश्चित कराया जायेगा।

यह गाईडलाइन्स/शर्तें प्रश्नगत इकाई तथा डुअल फीड से अल्कोहल उत्पादन हेतु पूर्व से अनुमति प्राप्त सभी इकाईयों पर लागू होंगी।

(i) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने की दशा में लिक्वीफाइड/सेकरीफाइड मैटेरियल को प्री फरमेन्टर में भेजने के लिये दोनों यूनिटों में अलग-अलग लगी पाइप लाइन एवं बाई-पास में से जिस यूनिट को ग्रेन से एथनॉल उत्पादन हेतु चलाया जाना है] उसे छोड़कर शेष दोनों पाइप लाइनों को उनके फ्लेन्जों से खोलकर पाइप लाइन हटा दी जायेगी तथा फ्लैन्जों को बोल्ट में छेद बनाकर उससे सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी/प्रभारी आबकारी निरीक्षक, आसवनी द्वारा सील कर दिया जायेगा। इस प्रकार एक यूनिट से केवल ग्रेन से एथनॉल का उत्पादन किया जायेगा।

(ii) शीरे से एथनॉल उत्पादन किये जाने वाली यूनिट के वीस्ट वेसल, प्री फरमेन्टर एवं फरमेन्टर में शीरा भेजने के लिये दोनों यूनिटों में अलग-अलग लगी पाइप लाइन एवं बाई-पास में से जिस यूनिट से शीरे से एथनॉल उत्पादन हेतु चलाया जाना है, उसे छोड़कर शेष दोनों पाइप लाइनों को शीरे के डे टैंक के पश्चात उनके प्लेन्जों से खोलकर पाइप लाइन हटा दी जायेगी तथा फ्लैन्जों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को बोल्ट में छेद बनाकर उससे सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी/प्रभारी आबकारी निरीक्षक, आसवनी द्वारा सील कर दिया जायेगा। इस प्रकार एक यूनिट से केवल शीरे से एथनॉल का उत्पादन किया जायेगा।

(iii) अलग-अलग फीड के लिये स्थापित पाइप लाइनों एवं बाई-पास लाइन में से एक फीड एवं बाई-पास लाइन को हटाये जाने से पूर्व सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी एवं आसवक के प्रतिनिधि के साथ तथा पाइप लाइन हटाये जाने एवं उसको सील किये जाने के पश्चात अलग-अलग फोटो खींचकर फोटो पर सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी/प्रभारी आबकारी निरीक्षक तथा आसवक के प्रतिनिधि के सतिथि हस्ताक्षर कर निर्धारित पोर्टल पर फोटो अपलोड किया जायेगा।

(iv) यदि किसी भी फीड की बाई-पास लाइन लगाये जाने की आवश्यकता होती है तो इसकी नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात ही लगाया जायेगा।

(v) आसवनी में एक साथ दोनों यूनिट को अलग-अलग फीड से चलाये जाने पर दोनों यूनिट के रिसीवर, संचय टैंक एवं डिनेचुरेशन/निकासी टैंक यूनिटवाइज अलग-अलग होंगे।

(vi) प्रत्येक एथनॉल संचय टैंक में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर लगाया जायेगा तथा राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर को आबकारी विभाग के पोर्टल से इन्टीग्रेट किया जाना अनिवार्य होगा।

(vii) राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर के खराब होने अथवा पोर्टल से कम्यूनिकेशन त्रुटि होने पर सम्बन्धित एथनॉल संचय टैंक में एथनॉल की प्राप्ति एवं निकासी की अनुमति नहीं होगी।

(viii) किसी भी संचय टैंक का आउटलेट आपस में जुड़े नहीं होंगे तथा प्रत्येक संचय टैंक का आउटलेट एवं निकासी टैंक का इनलेट पृथक-पृथक होंगे।

(ix) प्रत्येक एथनॉल संचय टैंक का आउटलेट एवं निकासी टैंक का इनलेट अन्य किसी टैंक से कनेक्ट नहीं होगा।

(x) यथासम्भव बिन्दु-(viii) एवं (ix) के अनुसार प्रत्येक एथनॉल संचय टैंक के साथ पृथक निकासी टैंक होगा, परन्तु यदि एक से अधिक एथनॉल संचय टैंक से एथनॉल डिनेचुरेशन/निकासी टैंक जुड़ा है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे सभी एथनॉल संचय टैंक में एक ही श्रेणी के फीड से उत्पादित एथनॉल संचय किया गया हो।

(xi) ग्रेन साइलों में अनाज भरने के लिये स्थापित बकेट एलीवेटर एवं ग्रेन साइलो से अनाज को प्लाण्ट में भेजने के लिये स्थापित बकेट कनवेयार में सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर पारदर्शी ग्लास प्लेट इस प्रकार स्थापित की जायेगी कि यह ज्ञात हो सके कि किस प्रकार के अनाज (ब्रोकेन राइस अथवा मक्का) का संचय/स्थानान्तरण किया जा रहा है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-23(1)/2025/766ई-2/तेरह-2025-498830 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।